कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–इन्दौर (म.प्र.)

लोक सूचना का अधिकार के तहत बिन्दुवार जानकारी :–

बिन्दु–1	संगठन की विशिष्टिया, संरचना, कृत्य एवं कर्तव्य
	स्थानीय निकायों के आम निर्वाचनों एवं उप चुनावों को पूर्णतः सफलतापूर्वक सुचारू रूप से संपादित कराने हेतु म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा जिला इन्दौर में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय का अस्तित्व रखा गया है । जिसमें की उप जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ दो लिपिक पदस्थ है । **(1)** स्थानीय निकायों के चुनाव में आयी समस्याओं के तहत आवेदकों द्वारा लोक सूचना अधिकार द्वारा न्यायालयीन प्रक्रिया में जानकारी समाहित करने हेतु आवेदन पत्रों के माध्यम से जानकारी चाही जाती है, जिसे कि आवेदको को समयसीमा में कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । **(2)** स्थानीय निकायों के चुनाव में तैयार की गई मतदाता सूची से संबंधित नामों को जोड़ने व हटाने के आवेदन पत्र स्वीकार किये जाते है, जिन्हें कि आयोग के दिशा–निर्देशों के तहत निराकृत किया जाता है । इस कार्यवाही में यह कार्यालय अपने अधिनस्थ दूसरे कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही क्रियान्वित करता है ।
बिन्दु–2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
	(1) जिले में अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन – **(अ)** कार्यालय का मुख्य अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पदेन कलेक्टर है । **(ब)** जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा डिप्टी कलेक्टर केडर या समकक्ष अधिकारी को अपनी कार्यालयीन शक्तियों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिसका कि पदनाम आयोग द्वारा रखा गया है को कार्य करने हेतु अधिकृत करता है । (2) कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन – **(अ)** कार्यालय में श्री सतीश बाजपेयी, सहायक ग्रेड–3 के पास स्टोर संबंधी कार्य के साथ–साथ आयोग को निर्धारित प्रारूपों में स्थानीय निकायों के आम चुनाव से संबंधित जानकारी भेजने का दायित्व दिया गया है, यह कर्मचारी सफलता पूर्वक कर्तव्य को संपादित करता है । इसके साथ इन्हें लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को निराकृत करने का दायित्व सौंपा गया है जिसे ये बखुबी निभाते है । **(ब)** श्री गणेशचंद्र गुप्ता, सहायक ग्रेड–2 – उक्त कर्मचारी स्थानीय निकायों के चुनावों का पूर्ण

	लेखा–जोखा रखते है । इनके पास आयोग से आवंटन प्राप्त करना, बजट प्रस्तुती, व्यय पत्रक अधिनस्थ विभागों से मंगाना एवं आयोग को प्रेषित करना इत्यादि कर्तव्य दिये गये है । जो इनके सफलता पूर्वक संपादित किया जा रहा है ।
बिन्दु–3	**निर्णय लेने की प्रकिया –**
	स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत अधिकारी–कर्मचारी आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार विधि सम्मत रूप से जिसमें शासन का हित हो, जनहित छुपा हो को ध्यान में रख कर निर्णय लेते है ।
बिन्दु–4	**कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक नियम**
	इस बिन्दु के जवाब के फलस्वरूप स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत अधिकारी–कर्मचारी विधि सम्मत कानून/नियम/निर्देशों में स्थापित मानक स्तर पर परम्परा अनुसार अपने कर्तव्यों को निर्वाहित करते है ।
बिन्दु–5	**कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख पंजी**
	प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन हेतु कार्यालय में निम्नानुसार पंजीया, निर्देशिकाएं, अभिलेख उपलब्ध रहते हैः– 1. शाखा में स्थानीय निकायों के चुनावों के संपादन हेतु आयोग द्वारा जारी नियम युक्त निर्देशिका । 2. शाखा में प्रचलित नस्तियों के संधारण की दर्जयुक्त पंजी । 3. लोक सूचना अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की पंजी । 4. लेखा शाखा कार्य की समस्त आवश्यक पंजीया, रोकड़, बही, आकस्मिक व्यय पंजी, मासिक व्यय पत्रक पंजी इत्यादि । 5. शाखा में अन्य मिसलेनियस नस्तियों की पंजीयां । 6. आवक–जावक, डाक वितरण इत्यादि पंजी ।
बिन्दु–6	**लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण**
	इस अधिनियम के तहत आम जनता को विधि सम्मत रूप से दस्तावेजों की प्रतियां आवेदकों की मांग के आवेदन योग्य निर्धारित प्रारूप में है, संलग्न शासकीय स्टाम्प/नॉन ज्युडिशियल टिकिट का संलग्नीकरण प्रस्तुत होने पर दिये जाने का यथा संभव प्रयास किया जाता है ।
बिन्दु–7	**नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण**
	स्थानीय निर्वाचन शाखा में नीति निर्धारण कार्यालय के लिए समय–समय पर जनप्रतिनिधियों से

	सलाह–परामर्श, मार्ग–दर्शन प्राप्त किया जाता है एवं इस पर आयोग के दिशा–निर्देशों को आवश्यक रूप से पालन किया जाता है तथा क्रियान्वयन में सुनिश्चितता रखी जाती है ।
बिन्दु–8	**बोड, परिषदों, समितियो एवं अन्य निकायों का विवरण**
	स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में मात्र चुनावी कार्यवाही संपादित होती है, जिसके क्रियान्वयन के लिये आयोग समय–समय पर दिशा–निर्देश पारित करता है । इसके साथ ही लोक सूचना अधिकार के आवेदनों का निराकरण भी किया जाता है । इन्दौर जिले में स्थित कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर समितियां बनाने का कार्य किया जाता है ।
बिन्दु–9	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिकाएं**
	स्थानीय निर्वाचन शाखा में अधिकारी–कर्मचारियों की निर्देशिकाएं निम्नानुसार है :–

क्र.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	दूरभाष		
			फोन	मोबाईल	ई–मेल
1.	श्री शीलेन्द्रसिंह	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	2449117	9425802035	delelctind-mp@nic.in
2.	श्री सतीश बाजपेयी	सहा–3	2559077		
3.	श्री गणेशचंद्र गुप्ता	सहा–2	2449117	9977261010	

बिन्दु–10	**प्रत्येक अधिकार और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति**
	स्थानीय निर्वाचन शाखा में अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन पारिश्रमिक निर्धारित शासन नियमानुसार किया जाता है । कार्यालय में उपलब्ध जानकारी अनुसार निम्नानुसार वेतन प्रतिमाह दिया जाता हैः–

क्र.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	वेतन भत्ते कुल प्रतिमाह
1.	श्री शीलेन्द्रसिंह	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	38,025.00
2.	श्री गणेशचंद्र गुप्ता	सहायक ग्रेड–2	18,746.00
3.	श्री सतीश बाजपेयी	सहायक ग्रेड–3	17,915.00

बिन्दु–11	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट(सभी योजनाओं व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना
	स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा होने वाले आम चुनावों, उप चुनावों के मद्दे नजर होने वाले व्यय प्रस्तावों को ध्यान में रखकर बजट के माध्यम से आवंटन की मांग की जाती है तथा आवंटन प्राप्त होने पर संबंधित देयताओं को बुलवाया जाकर राशि के एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से भुगतान किया जाता है । (1) अधिकारी/कर्मचारी को वेतन भत्ते मद (01) 2015–6262 में आवंटन प्राप्त होता है । (2) स्थानीय निकायों के (नगर निगम/त्रि–स्तरीय पंचायत चुनावों (01) 2015–6757 में आवंटन प्राप्त होता है ।
बिन्दु–12	अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के कियान्वयन की रीति, राशि एवं हितग्राहियों का विवरण
	इस बिन्दु के तहत स्थानीय निर्वाचन शाखा में (राज सहायता कार्यक्रम) क्रियान्वित नहीं होते है, जिसके कारण न तो अनुदान न ही हितग्राहियों की जानकारी पटल पर आती है ।
बिन्दु–13	रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण
	इस बिन्दु की जानकारी फलस्वरूप स्थानीय निर्वाचन शाखा में आयोग द्वारा चुनावी कार्यवाही क्रियान्वयन हेतु अनुज्ञा पत्र, मार्ग दर्शिकाएं, पीठासीन अधिकारियों के पठन हेतु पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश प्रसारणी प्राप्त होती है, जिन्हें चुनावी कार्य संपादन के संपन्न हेतु उपयोग में लाने हेतु संबंधितों को निःशुल्क प्रदाय किया जाता है ।
बिन्दु–14	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं
	इस बिन्दु के परिपालन में निम्न स्वरूप में उपलब्ध है । (1) कार्यालयीन पत्रक एवं जानकारियां (2) विभिन्न प्रकार के आयोग को भेजे गये पत्राचार (3) जिले की NIC स्थित Website पर भी उपलब्ध है ।
बिन्दु–15	सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
	नागरिकों को इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के दस्तावेज प्राप्त करने, दस्तावेजों के अवलोकन के लिए सुविधाएं उपलब्ध है । (1) समाधान जन सुविधा केन्द्र में एक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है । (2) इस केन्द्र पर एक कर्मचारी पदस्थ है । (3) इस केन्द्र पर प्रातः 11 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक दस्तावेज प्रदाय करने की कार्यवाही

	की जाती है । (4) प्राप्त आवेदनों का निराकरण समयावधि 30 दिवस में किए जाने का प्रयास किया जाता है ।
बिन्दु–16	**लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम तथा विशिष्ठियां**
	स्थानीय निर्वाचन शाखा में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी की निम्नानुसार है :–

क्र.	नाम	पद	फोन मोबाईल
1	श्री शीलेन्द्रसिंह	लोक सूचना अधिकारी	9425802035
2	श्री अन्तिम दुबे	सहा.लोक सूचना अधिकारी	9424593170

बिन्दु–17	**अन्य उपयोगी जानकारियां**
	स्थानीय निर्वाचन शाखा में जोकि कलेक्टर कार्यालय का अभिन्न अंग है, इसमें कार्यरत अधिकारी/कर्मचारीगण लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पूर्ण रूपेण सजग है एवं शाखा में आए आवेदनों को त्वरित गति से निराकृत करने के लिय दृढ संकल्पित है ।

लोक सूचना अधिकारी,
स्थानीय निर्वाचन,
जिला इन्दौर म.प्र.